

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या:- 192/नौ-5-2022-4सा/2022
लखनऊ: दिनांक: 11 जनवरी, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन-2.0 (AMRUT 2.0 - Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0) योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना को योजना के Final Operational Guidelines के अनुरूप प्रदेश के नागर स्थानीय निकायों में क्रियान्वित किया जाना है। अतः योजना के प्रदेश में सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति (State level High Power Steering Committee-SHPSC) का गठन किया गया है। उक्त योजना के Final Operational Guidelines के प्राविधानों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में निम्नानुसार राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC-State Level Technical Committee) का गठन किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास	अध्यक्ष
2	सचिव/विशेष सचिव (वित्त)	सदस्य
3	सचिव/विशेष सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	सदस्य
4	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम	सदस्य
5	निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
6	निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (SUDA) उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
7	निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
8	प्रबन्ध निदेशक (विद्युत वितरण), उ०प्र० राज्य विद्युत निगम लि०, लखनऊ	सदस्य
9	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ।	सदस्य
10	राज्य मिशन निदेशक (अमृत 2.0)	सदस्य सचिव
11	अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (RCLUES)	सदस्य
12	महाप्रबन्धक, जलकल, नगर निगम, लखनऊ	सदस्य

2- उक्त समिति अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन-2.0 (AMRUT 2.0 - Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0) योजना के Final Operational Guidelines में वर्णित समस्त क्रिया-कलापों/दायित्वों का निर्वहन करेगी।

(अनुराग यादव)
सचिव

संख्या-192(1)/नौ-5-2022-4सा/2022 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 7- राज्य मिशन निदेशक, अमृत-2.0, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 9- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 10- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ०प्र० लखनऊ।
- 11- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 12- प्रबन्ध निदेशक (विद्युत वितरण), उ०प्र० राज्य विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
- 13- मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ।
- 14- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- 15- निदेशक, सी०एण्डडी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 16- महाप्रबन्धक, जलकल, नगर निगम, लखनऊ।
- 17- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
- 18- निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 19- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- 20- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
11-01-2022
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।